न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 27/2014

जीसीएमएस नम्बर : 2014/00287

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मेघाराम पुत्र पोकरराम 2. गुमान पुत्र पोकरराम जातिगण देवासी निवासीगण देवासियों का बास सांडिया, तहसील सोजत जिला पाली		1. रूघाराम उर्फ रघुवीर पुत्र महाराम देवासी जाति देवासी निवासी देवासियों का बास, सांडिया, तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत सांडिया तहसील सोजत, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.09.2004, मिसल संख्या 68/04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3190 दिनांक 03.01.2005 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे के पडौस पूर्व दिशा में गुणाराम देवासी की जमीन, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व मकान का दरवाजा, उत्तर दिशा में गुमानराम मेघाराम का मकान तथा दक्षिण दिशा में शोभाराम देवासी का मकान आया हुआ है। उक्त जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 5246 वर्गफीट है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्रम पंचायत के समक्ष आवेदन किये जाने पर बिना मिसल कायम किये, बिना मौका रिपोर्ट मंगावाये, बिना आपत्तिया आमंत्रित किये, बिना किसी गवाहान जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पति के आधार पर जारी किया गया है जबकि पट्टाधारक के पिता के दो पुत्र थे और केवल एक अप्रार्थी के नाम ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। पट्टे के पडौस की भूमि के बीच प्रार्थी निगरानीकर्ता के स्वयं का रहवासीय मकान स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के मकान की भूमि का भी पट्टा सम्मिलित रूप से बना दिया गया, जबकि प्रार्थी अपने मकान में परिवार सहित निवासरत है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की जाती तो निश्चित रूप से प्रार्थी के मकान के स्वामित्व एवं आधिपत्य का विवरण दर्ज होता तथा आपत्तिया आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाता तो प्रार्थीगण निश्चित रूप से

अति. जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

आपत्तिया प्रस्तुत करता। प्रार्थीगण ने अपने स्वामीत्व, आधिपत्य एवं मालिकाना मकान जिसमें प्राथीगण निवासरत है का पट्टा बनाने का आवेदन दिनांक 06.01.2013 को जरिये रसीद संख्या 14 रूप्ये 120 जमा कराकर ग्राम पंचायत में पेश किये। जिसके उपरान्त भी पंचायत द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपितु प्रार्थीगण के स्वामीत्व की भूमि का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। जिससे स्पष्ट है ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.09.2004, मिसल संख्या 68/04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3190 दिनांक 03.01.2005 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 के एक भाई व पिता के होते हुये भी ग्राम पंचायत ने केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ही जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया, जो नियमानुसार सही नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में मिसल की आज्ञा दिनांक 05.06.2004 में कही पर भी अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अंकन नहीं है। मिसल में अंकित आज्ञा दिनांक 05.06.2004 प्रस्ताव संख्या 7, आज्ञा दिनांक 20.06.2004 प्रस्ताव संख्या 6, आज्ञा दिनांक 05.07.2004 प्रस्ताव संख्या 5 का अवलोकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर से करने पर पाया कि रजिस्टर में अंकित बैठक कार्यवाही दिनांक 05.06.2004 प्रस्ताव संख्या 7, दिनांक 20.06.2004 प्रस्ताव संख्या 6, दिनांक 05.07.2004 प्रस्ताव संख्या 5 में जैर निगरानी मिसल के सम्बनध में कोई अंकन ही नहीं है। बैठक कार्यवाही दिनांक 06.09.2004 के प्रस्ताव संख्या 2 में जिस तरह से अभिलेखित (overwrite) किया है उससे सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल 68/04 बाद में अंकित की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा 200/– रूपये जरिये रसीद जमा करवाये जाने के उपरान्त 5246 वर्गफीट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के रू. 200/– दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

अर्थात ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो नियमानुसार सही नहीं होने से खारिज

अति. जिला कलक्टर, पाली

योग्य है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 को वर्ष 2004 में जारी जैर निगरानी पट्टे में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में प्रार्थीगण का मकान अंकित है। साथ ही प्रार्थी मेघाराम को अपने कब्जा शुदा मकान–बाडा में शौचालय निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित पडौस दक्षिण दिशा में मेहराराम देवासी का मकान बाडा है, न कि मेहराराम के पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के भाई व पिता के होते हुये भी केवल अप्रार्थी के पक्ष में पुश्तैनी मकान का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी मिसल की आज्ञा दिनांक 05.06.2004 में कही पर भी अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अंकन नहीं है। साथ ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित बैठक कार्यवाही दिनांक 05.06.2004 प्रस्ताव संख्या 7, दिनांक 20.06.2004 प्रस्ताव संख्या 6, दिनांक 05.07.2004 प्रस्ताव संख्या 5 में जैर निगरानी मिसल के सम्बनध में कोई अंकन ही नहीं है तथा बैठक कार्यवाही दिनांक 06.09.2004 के प्रस्ताव संख्या 2 से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल बाद में अंकित की गयी है। प्रार्थी की आराजी पर शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2014 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित पडौस दक्षिण दिशा में भी मेहराराम देवासी का मकान बाडा अंकित है न कि मेहराराम के पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 का नाम। जिससे यह सुपष्ट है कि ग्राम पंचायत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखाजाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सांडिया द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.09.2004, मिसल संख्या 68/04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 रूघाराम पुत्र महाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3190 दिनांक 03.01.2005 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली